मा0 उच्च न्यायालय प्रकरण/अतिआवश्यक/महत्वपूर्ण/फैक्स

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश।

1-तिलक मार्ग लखनऊ।

परिपत्र संख्या-39/2015 दिनांकःलखनऊःमई 25,2015

सेवा मे,

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक प्रभारी जनपद,
उत्तर प्रदेश ।

इस मुख्यालय के परिपत्र संख्या-34/2015 दिनॉक 13-5-2015 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में आपको निर्देशित किया गया था कि जब भी मा0 न्यायालय द्वारा किसी अधिकारी/कर्मचारी को उपस्थित होने हेतु आदेशित किया जाता है तो वही अधिकारी/कर्मचारी मा0 न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा ।

2- उक्त संदर्भित परिपत्र के माध्यम से बहुत ही स्पष्ट निर्देश निर्गत करने के उपरॉत भी रिट पिटीशन संख्या 85(हैबियस कार्पस)/2015 श्रीमती रईसुन उर्फ मरजीना द्वारा मो0 सिराज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य जो जनपद उन्नाव से सम्बन्धित है के परिप्रेक्ष्य में यह तथ्य संज्ञान में लाया गया है कि मा0 उच्च न्यायालय द्वारा थाना प्रभारी हसनगंज जनपद उन्नाव को उपस्थित होने के निर्देश दिये थे परन्तु वे उपस्थित न होकर उनके स्थान पर उपनिरीक्षक हफीज अहमद मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए जो अत्यन्त ही आपत्तिजनक और अवमानना की श्रेणी में आता है। अतः जैसा कि इस मुख्यालय के परिपत्र संख्या-34/2015 में व्यक्त किया गया है थाना प्रभारी हसनगंज उन्नाव के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए इस मुख्यालय को अवगत कराया जाय।

3- आप सभी को पुनः यह निर्देशित किया जाता है कि मा0 न्यायालय द्वारा जिस अधिकारी/कर्मचारी को उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया जाय वही अधिकारी/कर्मचारी मा0 न्यायालय में उपस्थित हो अन्यथा मुझे सम्बन्धित के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करने हेतु विवश होना पड़ेगा ।

(अरविन्द कुमार जैन)
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपरोक्त निर्देशों का नियमित अनुश्रवण कराये जाने हेतु प्रेषितः-

1- समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।

2- समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश ।